फर्द अहकाम
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री अमृतलाल **विपक्षी :– श्रीमती कैलाशी**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 68/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 19.05.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प लदानी में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 4 स्वयं उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 3, 6, 8, 11 से 13, 17 से 20, 25, 27 से 30, 32 से 45 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 5, 7, 9, 10, 14 से 16, 21 से 24, 26, 31 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 4 को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 4 की बहस पर मनन किया। विपक्षी सं. 4 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षी सं. 25 से 27 खातेदार है, विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी सं. 25 से 27 की खातेदारी है एवं प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। विपक्षी सं. 4 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 832 किता 1 रकबा 0.8337 हेक्टेयर के दक्षिणी दिशा एवं आराजी नम्बर 831, 840, 849 किता 3 रकबा 0.8580 हेक्टेयर भूमि के पश्चिमी दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.06.20 14:05:40 IST Reason: SelfAttested (श्रीकान्त व्यास) उपखण्ड अधिकारी मावली	